


न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

नांक	फर्द अहकाम	
	<p>क्र.नं. 140/16</p> <p>ता.सू. 7-12-16</p> <p>उनवान - कश्यप ^{मै} मै ^{मै} बनाम कश्यपरा केके माया</p> <p>दावा - ब्यापत - बँटवारा</p> <p>वादी की ओर से श्री मदन मोहन शर्मा A.C.W. ने दावा ब्यापत बँटवारा पेश किया। अवलोकन किया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी जणको सम्मान से तलब का पत्रावली दिनांक 17-1-17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)</p>	<p>3781-3800</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p>8-12-16</p>
	<p>17/17 वादी वकील उपाधित। प्रतिवादी नं 3 ता 13, 16, 17 ने तामिल करने से इन्कार किया। तामिल बुनिन्दा ने रिपोर्ट में हाजिरिया रिपोर्ट पेश की जो तामिल मानी जाती है। व 19 को तामिल हो चुकी है। बावजूद सूचना उपाधित नहीं। इसलिए एक पक्षीग आपवाही अमल में लायी जाती है। 1, 2, 10, 14, 15 को तामिल प्राप्त नहीं हुई है। व इन्तजार तामिल 1, 2, 10 दि. 22/17 को पेश हो।</p>	<p>488-90</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p>14-2-17</p>
22.2.17	<p>वादी वकील उप। वादी वकील ने प्रतिवादी नं 14, 15, 18 को रजि. 10 सम्मान निजवोन की पोस्ट डाफिस की रसीद दि. 16.2.17 की पेश की व प्रतिवादी नं. 1, 2 की रजि. 10 सम्मान तलवाना पेश हो। तलवाना पेश होने पर तलबी जारी की। दिनांक 21.3.17 को पेश हो।</p>	

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

फर्द अहकाम

दिनांक	विवरण
21.3.17	वादी वकील उप / प्रतिवादी नं. 1, 2 के रजि. M० समान तलबाना पेश करे। आर्डिन. दि. 11.4.17 को पेश हो।
11.4.17	वादी वकील उप / प्रतिवादी नं. 1, 2 का समान तलबाना रजि. M० पेश किया। तलबी जारी है। बाकि तलबी दिनांक 8.5.17 को पेश हो।
12.2.6.17 11.4.17	
8.5.17	वादी वकील उप.। प्रतिवादी नं. 1, 2 के रजि. M० भी रसीद पेश की। पत्रावली न्याय क्षमके कर केप मुंडिया ने दिनांक 23.5.17 को पेश हो।
23.5.17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर... में पेश हुई। आर्डिन. दिनांक... को पेश हो।
7.7.17	वादी वकील उप.। वादी उप.। शपथ पत्र प्रस्तुत किया। तथा कथन दिया कि वादी का तकासा का दावा है। बंधारा स्कीम तलब का फाईनल सिद्धी फाया जो पत्रावली का डायलिसिस किया। वादिया ने तकासा काने का दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण सहवितेदा अवजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए हैं। इस उपाय यह माना जा सकता है कि उन्हें वादिया द्वारा काने जा रहे तकासा से कोई डायलिसिस नहीं इसलिए नायब तहकीलदा आलघा से बंधारा स्कीम प्राप्त की जावे। नायब तहकीलदा आलघा
21/11/17	


न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

से राजस्व लोक अदालत न्याय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत
 कुशावली में बंधारा स्कीम सं. नं. 465 रकम 1.12.80
 गुम सलिपुरा की वारी के हिस्से की बंधारा स्कीम
 तलब की गई। प्राप्त हुई बंधारा स्कीम का कारिपाए
 कादी वकील ने ठावलोवन का सही होना स्वीकार करते
 हुए कारिपा का दावा फाइनल डिडी फिषे जोतकर
 व्ययन फिषा। कारिपा का उत्तर प्रस्तुत रजिस्टर्ड विद्युत फत्र
 दिनांक 10/11/14 से उक्त आराजी सं. नं. 465 रकम 1.12.80
 में 6/35 हिस्सा है। जमाबंदी संवत् 2012-15 के तालाब,
 65 में कारिपा का हिस्सा 6/35 की खाते वप काशनकप
 की मुताबिक बंधारा स्कीम कारिपा को गुम सलिपुरा
 की भूमि खसरा नम्बर 465/1, रकम 0.19 है का
 खातेदा काशनका घोषित फिषा जाता है। शेष
 हिस्सा बदलवा हिस्सातुल्य रहेगा। फर्दा डिडी जारी
 है। नायब तहसीलदार बालघाट के राजस्व डिप्टी में
 ठावत दाखल हेतु लिखा जोषी नम्बरा इस की प्रति
 निर्वाचका भाग रहेगा।

पत्रावली फेंसल शुभा नम्बर सिद्धम होकर

दाखिल दफ्तर है।


 उप जिला कलेक्टर
 टोडाभीम (न्याय)